न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सागवाडा जिला डूँगरपुर(राज0)

नाम पीठासीन अधिकारी :– श्री गोपाललाल स्वर्णकार आर0ए0एस0 उपखण्ड अधिकारी
सागवाडा

प्रकरण संख्या :– 37 / 2014

दायर दिनांक–12.11.2014
फैसल दिनांक– 14.3.19

1– श्री अरजन पिता वालजी मीणा निवासी अम्बाडा
2– श्री कचरालाल पिता स्व0श्री कोदरा मीणा निवासी अम्बाडा
3– श्रीमती गीता पिता स्व0 श्री कोदरा मीणा निवासी अम्बाडा
4– श्रीमती तोलं पिता स्व0 श्री कोदरा मीणा निवासी अम्बाडा
5– श्रीमती सविता पिता स्व0 श्री कोदरा मीणा निवासी अम्बाडा
6– श्रीमती कमला पिता स्व0श्री कोदरा मीणा निवासी अम्बाडा
7– श्रीमती शान्ति पिता स्व0 श्री कोदरा मीणा निवासी अम्बाडा
8– श्रीमती उमीया पिता स्व0 श्री कोदरा मीणा निवासी अम्बाडा
9– श्रीमती जसू पिता स्व0 कोदरा मीणा निवासी अम्बाडा
10– श्रीमती गोमन बेवा स्व0श्रीकोदरा मीणा निवासी अम्बाडा
11– श्रीमती मानुडी पिता श्री वालजी मीणा हाल अपने पति नाथू निवासी अम्बाडा
12–श्रीमती नर्वदा पिता श्री वालजी मीणा हाल अपने पति सवा डोडियार निवासी वणियाप

(वादीगण)

बनाम

1– श्री हरता पिता श्री लालू मीणा निवासी अम्बाडा
2– श्री वजा पिता श्री लालू मीणा निवासी अम्बाडा
3– श्री विहरम पिता श्री लालू मीणा निवासी अम्बाडा
4– श्रीमती गवरी पिता लालू मीणा नि0अम्बाडा हाल अपने पति श्री अमरजी नि0 दिवडाछोटा
5– श्रीमती लसूडी बेवा श्री लालू मीणा निवासी अम्बाडा
6– श्री नारायण पिता स्व0 श्री रमण मीणा निवासी अम्बाडा
7– भूमिधारी तहसीलदार तहसील सागवाडा

(प्रतिवादीगण)

वकील वादी गण :– श्री शेलेन्द्र जैन , श्री अजीतसिंह राव
वकील प्रतिवादीगण 1,2,3,6:–श्री कान्तिलाल

वाद अन्तर्गत धारा 53, 209 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट बाबत बंटवारा करने

निर्णय वाद वादीगण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादपत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित पीढीनामा अनुसार वादी नं0 1 व वादी नं0 2 से 10 के पिता व पति स्व0 कोदर व

उपखण्ड अधिकारी
सागवाडा

वादी नं011 व 12 आपस में सगे भाई बहन हैं तथा प्रतिवादी नं0 1 से 6 के पिता व पति स्व0 श्री लालू वादी नं0 1 के भाई है ।वादी नं0 1 की सगी बहन दितली की मृत्यु हो चुकी है ।यह कि वादपत्र की कलम संख्या 2 में वर्णित भूमि मौजा अम्बाडा की जमाबन्दी सं0 2067–70में कुल खसरा किता 11 रकबा 8 बीघा 19 बिस्वा भूमि है जिस पर वादी नं0 1 व वादी नं0 2 से 10 के पिता व पति व वादी नं0 11 व 12 एवं प्रतिवादीगण नं0 1 से 6 एवं स्व0 दितरी के नाम दर्ज है । उक्त आराजीयात का अर्सा करीब 40–50 वर्ष पूर्व वादी के पिता के जीवीत अवस्था में ही आपस में तीन भाईयों में बंटवारा कर दिया तथा वादी नं0 1 की सगी बहनो ने विवाह के बाद अपना हिस्सा सदैव के लिये अपने सभी भाईयों के हक मे बराबर त्याग दिया । इस बंटवारे के बाद वादीगण एंव प्रतिवादीगण ने अपनी आवश्यकतानुसार अपने हिस्से में आये खेतों में विकास कार्य किया है । यह कि वादीगण उक्त खसरा नम्बर में आबादी खसरा नम्बर 1360 को बेचान करने के कारण बाकी के सभी खसरा नम्बरों पर समतल कर विकास करना चाहते हैं तथा बैंक से अपने खाते पर ऋण प्राप्त करना चाहते हैं जिस कारण खाता कब्जे व पूर्व बंटवारा के अनुसार अलग करना आवश्यक है लेकिन प्रतिवादीगण नं0 1 से 6 सहमत नहीं है । वादी नं0 1 व 2 से 10 का अपने अपने हिस्से की काश्त की जमीन पर कब्जा है उसी प्रकार प्रतिवादी नं0 1 से 6 का उनके हिस्से की काश्त की जमीन पर काबीज है।

वादपत्र के अन्त में वादी द्वारा मोजा अम्बाडा की जमाबन्दी संवत 2067–70 के खाता संख्या 354 नया व 337 पुराना के कुल खेत 11 में से खसरा नंबर 1360 को छोडकर बाकी कुल खसरा 10 वादी नं0 1 का 1/3 भाग एवं वादी नं0 2 से 10 का संयुक्त 1/3 भाग का मौके पर हिस्सा अनुसार प्रथक प्रथक प्रतिवादीगण से बंटवारा कर खाता अलग करने की प्रारम्भिक डिक्री जारी करने का आदेश प्रदान करने का निवेदन किया गया है ।

वादीगण की ओर से वाद पत्र के साथ वाद की पुष्टि में शपथ पत्र एवं खाता जमाबन्दी की नकल प्रस्तुत की गई है ।

वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को सम्मन जारी किए गए । प्रतिवादीगण 4 एव 5 दिनांक 10.2.2015 एंव प्रतिवादीगण संख्या 1,3,4,6 दिनांक 18.2.2015 को बावजूद सूचना अनुपस्थित होने से उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये जाकर साक्ष्य वादी प्रारम्भ की गई ।

वकील वादी ने साक्ष्य में अरजन पिता वालजी पी0डबलू01 ,कचरालाल पिता कोदरा मीणा पी0डबलू02 के बयान का शपथ पत्र प्रस्तुत कर प्रस्तुत दस्तावेज जमाबन्दी खाता संख्या 354 मोजा अम्बाडा प्रदर्श –1 कराई जाकर साक्ष्य वादी समाप्त की गई ।

चूँकि प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश हो चुके हैं अतः वकील वादी की एक पक्षीय बहस समायत की गई ।

उपखण्ड अधिकारी
सागवाडा

विद्वान वकील वादी ने अपनी बहस में वाद वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए हमारा ध्यान दस्तावेज प्रदर्श–1 जो कि मोजा अम्बाडा के खाता संख्या 354 संवत 2067–70 की जमाबन्दी की नकल है , की ओर आकर्षित किया जिसमें खातेदारान के स्थान पर "हुरता,वजा,विहरम,गवरी पिता लालू ,लसूडी बेवा लालू, नारायणपिता रमण नाबा0की वली दादी लसूडी बेवा लालू 1/5 हिब, कोदरा अरजन ,मानुडी पिता वालजी 2/5,हिब दितली नर्वदा पिता वालजी 2/5 हिब मीणा सा0दे0खातेदार दर्ज है । विद्वान वकील वादी ने यह भी बताया कि उक्त जमाबन्दी अनुसार आराजी नम्बर 1360 रकबा 0.11बिस्वा का आबादी परिवर्तन होकर बेचान हो चुका है तथा सहखातेदार कोदरा फौत हो जाने से वारिसदार कचरालाल ,गीता,तोलं,सवीता,कमला,शान्ति,उमिया ,जसू पिता कोदरा एंव गोमन बेवा कोदरा जरिये नामान्तरकरण संख्या 1507 के काबिज हुए हैं । आराजीयात का अर्सा करीब 40–50 वर्ष पूर्व वादी के पिता के जीवीत अवस्था में ही आपस में तीन भाईयों में बंटवारा कर दिया तथा वादी नं0 1 की सगी बहनो ने विवाह के बाद अपना हिस्सा सदैव के लिये अपने सभी भाईयों के हक में बराबर त्याग दिया । इस बंटवारे के बाद वादीगण एंव प्रतिवादीगण ने अपनी आवश्यकतानुसार अपने हिस्से में आये खेतों में विकास कार्य किया है । यह कि वादीगण उक्त खसरा नम्बर में आबादी खसरा नम्बर 1360 को बेचान करने के कारण बाकी के सभी खसरा नम्बरों पर समतल कर विकास करना चाहते हैं तथा बैंक से अपने खाते पर ऋण प्राप्त करना चाहते हैं जिस कारण खाता कब्जे व पूर्व बंटवारा के अनुसार अलग करना आवश्यक है लेकिन प्रतिवादीगण नं0 1 से 6 सहमत नहीं है । वादी नं0 1 व 2 से 10 का अपने अपने हिस्से की काश्त की जमीन पर कब्जा है उसी प्रकार प्रतिवादी नं0 1 से 6 का उनके हिस्से की काश्त की जमीन पर काबीज है। वकील वादी ने वाद पत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित पेढीनामा की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करते हुए अपनी बहस के अन्त में मोजा अम्बाडा की जमाबन्दी संवत 2067–70 के खाता संख्या 354 नया व 337 पुराना के कुल खेत 11 में से खसरा नंबर 1360 को छोडकर बाकी कुल खसरा 10 वादी नं0 1 का 1/3 भाग एवं वादी नं0 2 से 10 का संयुक्त 1/3 भाग का मौके पर हिस्सा अनुसार प्रथक प्रथक प्रतिवादीगण से बंटवारा कर खाता अलग करने की प्रारम्भिक डिक्री जारी करने का आदेश प्रदान करने का निवेदन करते हुए बहस समाप्त की गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं वकील वादी की एक पक्षीय बहस पर मनन किया । प्रतिवादीगण की ओर से वाद विरोध में न तो जवाब प्रस्तुत किया है एवं न ही कोई साक्ष्य आदि प्रस्तुत किया है । पत्रावली के संलग्न जमाबन्दी खाता संख्या 364 मौजा अम्बाडा में खातेदार के स्थान पर "हुरता,वजा,विहरम,गवरी पिता लालू ,लसूडी बेवा लालू, नारायण पिता रमण नाबा0की वली दादी लसूडी बेवा लालू 1/5 हिब, कोदरा अरजन ,मानुडी पिता वालजी 2/5,हिब दितली नर्वदा पिता वालजी 2/5 हिब मीणा सा0दे0खातेदार दर्ज रेकार्ड है । पत्रावली में प्रस्तुत पीढीनामा अनुसार मूल पुरूष वालजी के तीन पूत्र लालू ,अरजन एवं

उपखण्ड अधिकारी
सागवाडा

कोदरा तथा इनकी बहने मानुडी,नर्वदा,दितली है, लालू फौत होने पर इनके वारीसान नारायण पितारमण,हरता,वजा,विहरम,गवरी,लसुडीएवंकोदराके वारिसान गोमन,कचरालाल,गीता,तोलं,सवीता ,कमला,शान्ति,उमिया,जसु है। वादी की ओर से गवाह अरजन पीडब्लू–1 एवं गवाह कचरालाल पीडब्लू–2 ने अपने बयान में वाद पत्र के तथ्यों को सही बताते हुए वादग्रस्त आराजी का लगभग 40–50 वर्ष पूर्व पिता के जीवितावस्था मेमं तीनो भाईयों को बंटवारा कर देना तथा बहनो के द्वारा अपना हिस्सा सदैव के लिये अपने भाईयों के हक में त्याग कर देना ,तीनो भाईयों द्वारा अपने अपने हिस्से में आये खेतों में विकास कार्य करना बताते हुए खसरा नम्बर 1360 बैचान कर देना बताया है । चूँकि बहनो के द्वारा अपना हिस्सा त्याग कर देने से उक्त पेढीनामा के अनुसार वादी संख्या 1 अरजन का 1/3 हिस्सा एवं वादी संख्या 2 से 10 का 1/3 हिस्सा तथा प्रतिवादीगण 1 से 6 का 1/3 हिस्सा होता है । वादी की ओर से प्रस्तुत वाद में भी खसरा नम्बर 1360 को छोडकर बाकी 10 खसरा नम्बरों में वादी नं01 का 1/3 भाग ,वपादी नम्बर 2 से 10 का संयुक्त 1/3 भाग का हिस्सा अनुसार प्रतिवादीगण से प्रथक बंटवारा कर खाता अलग करने का निवेदन किया गया है । प्रतिवादीगण की ओर से वाद पत्र के विरोध में न तो जवाब प्रस्तुत किया है एवं न ही किसी प्रकार की कोई साक्ष्य प्रस्तुत की गई है ।

इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 11.12.2017 के तहत वाद वादी स्वीकार एवं प्रारम्भिक डिकी किया जाकर तहसीलदार सागवाडा को मौजा अम्बाडा की जमाबन्दी संवत 2067–70 के खाता संख्या 354 नया एवं 337 पुराना के कुल खेत 11 में से खसरा संख्या 1360 को छोडकर शेष खसरे 10 में वादी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा ,वादी संख्या 2 से 10 का संयुक्त 1/3 हिस्सा एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 6 का 1/3 हिस्से का बंटवारा कर बंटवारा रिपोर्ट तीन प्रति में मय नक्शे के साथ प्रस्तुत करने आदेश दिए गए ।

तहसीलदार सागवाडा के पत्र संख्या राजस्व/129 दिनांक 26.2.2018 से बंटवारा रिपोर्ट निम्नानुसार प्रस्तुत की गई है –

क0सं0	खातेदार का नाम	खसरानम्बर	रकबा
1	अरजन पिता वालजी मीणा सादेह खातेदार	1906	0.03
		1907	0.19
		2032	0.11
		2033	0.05
		2100	0.05
		2294	0.01
		2314	0.04
		2526	0.02
		2813	0.03
		2947	0.03

उपखण्ड अधिकारी
सागवाडा

2	कचरालाल गीता तोल सवीता कमला शान्ति उमीया जसु पिता कोदरा गोमन बेवा कोदरा मीणा सा देह खातेदार	1906/1	0.02
		1907/1	1.00
		2032/1	0.10
		2033/1	0.06
		2100/1	0.05
		2294/1	0.01
		2314/1	0.04
		2526/1	0.02
		2813/!	0.02
		2947/1	0.04
3	हरता वजा विहरम गवरी पिता लालू लसूडी बेवा लालू नारायण पिता रमण नाबा की वली दादी लसूडी बेवा लालू मीणा सादेह हिब खातेदारा	1906/2	0.02
		1907/2	1.00
		2032/2	0.11
		2033/2	0.05
		2100/2	0.06
		2294/2	0.01
		2314/2	0.03
		2526/2	0.03
		2813/2	0.02
		2947/2	0.03

उपरोक्तानुसार बंटवारा रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर वकील वादी को बंटवारा रिपोर्ट पर सहमती के कम में सुना गया । वकील वादी ने बंटवारा रिपोर्ट से सहमती प्रदान कर तदनुसार रेकार्ड में अमल दरामद हेतु निवेदन किया गया ।

अतः वाद वादी अन्तिम डिक्री किया जाकर तहसीलदार सागवाडा को आदेश दिया जाता है कि उपरोक्त बंटवारा रिपोर्ट (परिशिष्ठ अ) अनुसार रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे ।बंटवारा रिपोर्ट (परिशिष्ठ – अ) निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा । डिक्री पर्चा जारी हो ।

निर्णय आज दिनांक 14/3/18 को खूले न्यायालय में सुनाया गया । प्रारम्भिक डिक्री जारी की जावे। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करेंगे। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम हो ।

(गोपाललाल स्वर्णकार)
उपखण्ड अधिकारी
सागवाडा